



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 भाद्र 1947 (श10)

(सं0 पटना 1414) पटना, सोमवार, 25 अगस्त 2025

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

21 अगस्त 2025

सं० प्र01/क्षे0स्था0-34/2001 (खंड-II)/10—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-117 की उपधारा-2(बी0) के तहत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बनाये गए विनियम-2010 (विद्युत सुरक्षा एवं आपूर्ति संबंधी उपाय) के विनियम-29 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-276/स0को0, दिनांक-08.07.2013 के द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लाइसेंसिंग बोर्ड गठित है।

2. विभागीय अधिसूचना सं०-07 दिनांक-14.02.2023 के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु ठीकेदार अनुज्ञा-पत्र, पर्यवेक्षक, क्षमता प्रमाण-पत्र तथा तारकर्म अनुमति-पत्र के नवीकरण, द्वितीयक प्रति एवं नया बुक जारी करने तथा अन्य राज्य से निर्गत विद्युत ठीकेदार लाइसेंसधारी को बिहार राज्य के अंतर्गत किसी विनिर्दिष्ट का कार्य अथवा छः माह से अधिक या उसके किसी भाग के कार्यावधि के लिए फीस भुगतान पर पारस्परिक आधार पर इस राज्य का अस्थायी अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु श्री रितेश कुमार शाही, विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

3. पूर्व में इस संबंध में निर्गत अधिसूचना संख्या-07 दिनांक-17.06.2025 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुधा गुप्ता,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1414-571+10-डी0टी0पी0

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>